विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 28 अक्तूबर, 2011

संख्या एल0 एल0 आर0–डी0(6)–28/2011–लेज.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19–10–2011 को अनुमोदित पंजाब एक्साइज (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक 3) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,

अवतार चन्द डोगरा,
प्रधान सचिव (विधि)।

2011 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3.

पंजाब एक्साइज़ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश 2011

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त, और प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश (विधियों का लागू होना) आदेश, 1948 और बिलासपुर (विधियों का लागू होना) आदेश, 1949 द्वारा यथा लागू, पंजाब एक्साइज़ ऐक्ट, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं हैं और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम.**–इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम पंजाब एक्साइज़ (हिमाचल प्रदेश संशोधन), अध्यादेश, 2011 है।

2. **धारा 27 का संशोधन.**–पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त, और प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में लागू पंजाब एक्साइज़ ऐक्ट, 1914 की धारा 27 की उपधारा (1) में "State Government may lease to any man", and "Country liquor or intoxicating drug", शब्दों के स्थान पर क्रमशः "Financial Commissioner (excise may lease or sub-lease to any person" and "excisable article" शब्द और चिन्ह रखें जाएंगे।

आदेश द्वारा,
उर्मिला सिंह,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

ए0 सी0 डोगरा,
प्रधान सचिव (विधि)।

————

AUTHORATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No. 3 of 2011.

THE PUNJAB EXCISE (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ORDINANCE, 2011

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India.

An ordinance further to amend the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act No. 1 of 1914) as in force in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 (31 of 1966); and as applied to the areas which comprised in Himachal Pradesh immediately before the 1st day of November,1966 *vide* the Himachal Pradesh (Application of Laws) Order, 1948 and the Bilaspur (Application of Laws) Order, 1949.

Whereas the legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Punjab Excise (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2011.

2. Amendment of section 27.—In section 27 of the Punjab Excise Act, 1914, as in force in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Reorganization Act, 1966, and as applied to the areas which comprised in Himachal Pradesh immediately before the 1st day of November, 1966 in sub-section (1), for the words "State Government may lease to any man", and "country liquor or intoxicating drug", the words and signs "financial Commissioner (Excise) may lease or sub-lease to any person" and "excisable article" shall respectively be substituted.

By order,

URMILA SINGH,
Governor,
Himachal Pradesh.

A. C. DOGRA,
Pr. Secretary (Law).